

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति गई नए पाइ शब्दों के विकास इवेंट घोरवड के अंतर्गत शोलाकोटी-
(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र गुडगाव - गुडगाव मोर्ट भाग का लिलारवोली - जब्बेडी तक सिस्तारीकणकाळी।
(ii) जिला पीडी शब्दों के लिए - 12.00 किमी।

(iii) जिला वन प्रभाग शब्दों के लिए -

(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र 10.796 हेक्टेएर

17. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः उपरिख्यात वन भूमि - 1.132 हेक्टेएर, सिविल वन भूमि - 7.161 हेक्टेएर।

18. अपर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:

(i) वन का प्रकार अपरिस्थित | सिविल | वन पंचामत।

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व 0.3

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणाम घोषणा - 19 के अनुसार चीड़ वन साल के विभिन्न लास कर्म के क्षेत्र 14.7 हेक्टेएर प्राप्तित है।

(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा

19. भूक्षण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर स्पृशित टिप्पणी - जल वैश्वानिकी की रिपोर्ट के अनुसार प्राप्तित है।

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी अपरिस्थित वन भूमि की सीमा के बिल्बन पर है।

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्वता :

(i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा : न्यूट्रिवन्य ट्रीव बिल्बन है।

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण नहीं हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) नहीं।

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली

प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) नहीं।

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोगिता

की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) नहीं।

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे नहीं।

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातात्त्व या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संसारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) नहीं।

23. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति-

न्यूनतम है। नहीं।

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। -

24. किए गए अतिकमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/ नहीं) नहीं।

(ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिकमण में अंतर्विलित वन भूमि, अतिकमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यो) का नाम, पते और पदनाम सहित

तिकमण के ब्यौरे और अतिकमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यो) के विरुद्ध की गई कार्यवाही -

(iii) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/ नहीं) -

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः उपराम-वेल की नैन-चेड़-ख भूमि, 3.59 हेक्टेएर

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन

जैसे ब्यौरे दें।

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर, वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत

भारत का सर्वेक्षण और सामीक्षा वन सीमाएं संलग्न हैं। नहीं।

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों का वर्णनयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हाँ/नहीं)।

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : ₹ 4,66,960.00

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए शेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हाँ/नहीं)।

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हाँ/नहीं)। (पार्ख्य-७)

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों
स्थान: पौड़ी (गढ़वाल) अन्तिम अट्ठस्तुति की जाती है।

तारीख:

हस्ताक्षर

श्रीमति पंडित
नाला शर्मा द्वारा
गढ़वाल वन प्रभाग
दीर्घी